

31-3-2023

प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीका प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा मूल अपील के साथ नत्थी हो।

८

प्रति. जिना कलकत्ता
सिरोही (राज.)

